

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प महुआपुर

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी महुआपुर व भूअनि महुआपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में प्राप्त ..... तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् ..... में खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम.	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>महुआपुर</u>	<u>28</u>	<u>उदा रुपा जमना पि.</u> <u>नगरी पुन्नी पुत्री</u> <u>नगरी 1/2 जगदीश</u> <u>गणपत पुत्र चौधमल</u> <u>मेलन पुत्री चौधमल</u> <u>कमल पालि चौधमल</u> <u>जालम पि. मोडा 1/2</u> <u>बलाड</u>	<u>उदा रुपा जमना पि. नगरी</u> <u>पुन्नी पुत्री नगरी 1/2 जगदीश</u> <u>गणपत पुत्र चौधमल मेलन</u> <u>पुत्री चौधमल कमल पालि</u> <u>चौधमल 1/4 जालम पि.</u> <u>मोडा 1/4 बलाड</u>

(रतनलाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 170119

दिनांक :- 1/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनलाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा